अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 10/2016-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि.____(अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 2/2011-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 01 मार्च, 2011 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड (3), उपखंड (i) में, सा0का0नि0 117(अ), तारीख 01 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना की सारणी में,--

(क) क्रम सं. 48 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) क्रम सं0 53 के सामने स्तंभ (3) में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर "निपटान योग्य एल्युमिनियम फॉयल, पुर्जों और प्रेशर कुकरों से भिन्न सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

(फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू)

(क.कालिमुत्तु)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणः मूल अधिसूचना सं0 2/2011-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 01 मार्च, 2011, भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. 117(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा, प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं0 08/2015-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. सं 138(अ) तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।